



मैनुअल स्कैवेंजिंग

प्रलिस के लयः

मैला ढोने/मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्यल से नपलटने हेतु पहलें, स्वच्छ भारत मशिन ।

मेन्स के लयः

हाथ से मैला ढोने की समस्यल, अनुसूचित जलतल, अनुसूचित जनजलतल से संबधतल मुददे ।

चरुल में क्यौं?

हलल ही में सलमलजकल न्यलय और अधकलरतल मंत्रललय दवलरल जलनकलरल सलझल की गई है कवलरुष 1993 से अब तक कुल 971 लुगुं ने सीवर यल सेप्टकल टैंक की सफलई के दुरलरन अपनी जलन गँवलई है ।

- इससे पहले केंदुरीय मंत्रमंडल दवलरल **रलषुदुरीय सफलई करुमचलरल आयुग** (National Commission for Safai Karamcharis- NCSK) के करुयकलल कु 31 मलरुच, 2022 से आगे और तीन सलल बढलने हेतु मंजुरी दी गई थी । इसके प्रमुख ललभलरुथी देश में सफलई करुमचलरल और पहचलन कयल गए हलथ से मैला ढोने वलले/मैनुअल स्कैवेंजिंग के करुय में संलगुन लुग हुंगे ।

प्रमुख बढल

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) यल हलथ से मैला ढोने कु "सरुवजनकल सडकुं और सूखे शौचललयुं से मलनव मल कु हटलने, सेप्टकल टैंक, नललयुं एवं सीवर की सफलई" के रूु में प्रभलषतल कयल गयल है ।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथल के प्रसर कल करलरण:

- उदलसीन रवैयल:** कई अधयननुं में रलज्य सरकलरुं दवलरल इस कुप्रथल कु सलमलप्त कर पलने में असफलतल कु सूवलकर न करनल और इसमें सुधलर के प्रयलसुं की कमी कु एक बडुी समस्यल बतलयल गयल है ।
- आउटसुरस की समस्यल:** कई स्थलनीय नकलयुं दवलरल सीवर सफलई जैसे करुयुं के लयल नजली टेकेदलरुं से अनुबंध कयल जलतल है परंतु इनमें से कई फ्ललई-बलय-नलडुट ऑपरेटर" (Fly-By-Night Operator), सफलई करुमचलरललुं के लयल उचतल दशल-नरलदेश एवं नयलमलवली कल प्रबंधन नही करते हैं ।
 - ऐसे में सफलई के दुरलरन कसली करुमचलरल की मृत्यु होने पर इन कंपनललुं यल टेकेदलरुं दवलरल मृतक से कसली भी प्रकरल कल संबध होने से इनकरल कर दयल जलतल है ।
- सलमलजकल मुददल:** मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथल जलतल, वरुग और आय के वभलजन से प्रेरतल है ।
 - यह प्रथल भरत की जलतल वल्यवस्थल से जुडुी हुई है, जहलूँ तथलकथतल नचलली जलतललुं से ही इस कलम कु करने की उमूीद की जलती है ।
 - "मैनुअल स्कैवेंजरस कल रुरुगलर और शुषक शौचलय कल नरुलमलण (नषलध) अधनलयलम, 1993" के तहत देश में हलथ से मैला ढोने की प्रथल कु प्रतलबलधतल कर दयल गयल है, हललुं कल इसके सलथ जुडुल कलंक व भेदभलव अब भी जलरी है ।
 - इससे हलथ से मैला ढोने वललुं के लयल वैकलपकल आजीवकल सुरकुषतल करनल मुशुकलल हुे जलतल है ।

मैला ढोने की समस्यल से नपलटने हेतु उठलए गए कदम:

- हलथ से मैला उठलने वलले करुमथललुं के नयलुजन कल प्रतलषलध और उनकल पुनरुवलस (संशुधन) वधलयक, 2020:**
 - इसमें सीवर की सफलई कु पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-सलडुट' सुरकुषल के उलय करने और सीवर सफलई के दुरलरन होने वलली मलुतुं के मलमले में मैनुअल स्कैवेंजरस कु मुआवजुल प्रदलन कयल जलने कल प्रसुतलव है ।
 - यह मैनुअल स्कैवेंजरस के रूु में नयलुजन कल प्रतलषलध और उनकल पुनरुवलस अधनलयलम, 2013 में संशुधन हुेगल ।

- इसे अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मली है ।
- हाथ से मैला उताने वाले कर्मियों के नयोजन का प्रतर्षिध और उनका पुनर्वास अधनियिम, 2013:
 - वर्ष 1993 के अधनियिम का स्थान लेते हुए वर्ष 2013 का अधनियिम सूखे शौचालयों पर प्रतर्षिध से परे है तथा यह अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों एवं गड्ढों आदि सभी की मैनुअल सफाई को अवैध बनाता है ।
- अस्वच्छ शौचालयों का नरिमाण और रखरखाव अधनियिम 2013:
 - यह अस्वच्छ शौचालयों के नरिमाण या रखरखाव तथा कसिी को भी हाथ से मैला ढोने हेतु काम पर रखने के साथ-साथ सीवर और सेप्टिकि टैंकों की खतरनाक सफाई को गैरकानूनी घोषति करता है ।
 - यह अन्याय और अपमान की कषतपूरति के रूप में हाथ से मैला ढोने वाले समुदायों को वैकल्पकि रोजगार तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लयि एक संवैधानकि जमिमेदारी भी प्रदान करता है ।
- अत्याचार नवारिण अधनियिम:
 - वर्ष 1989 में अत्याचार नवारिण अधनियिम स्वच्छता संबंधी कार्यकर्त्ताओं के लयि एक समन्वति गारड बन गया । इस दौरान मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचति जातिके थे । यह मैला ढोने वालों को नरिदषिट पारंपरकि व्यवसायों से मुक्त करने के लयि यह एक महत्त्वपूरण मील का पत्थर साबति हुआ ।
- सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:
 - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में वशिव शौचालय दविस (19 नवंबर) पर लॉन्च कयिा गया था ।
 - सरकार द्वारा सभी राज्यों के लयि अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इसे एक 'चुनौती' के रूप में शुरू कयिा गया, इसके तहत यद कसिी व्यक्ती को अपरहार्य आपात स्थति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचति गयिर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान कयि जाते हैं ।
- 'स्वच्छता अभयान एप':
 - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान एवं जयिोटेग करने हेतु वकिसति कयिा गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सैनटिरी शौचालयों में बदला जा सके और सभी हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरमिा प्रदान करने हेतु उनका पुनर्वास कयिा जा सके ।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय: वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश ने सरकार के लयि उन सभी लोगों की पहचान करना अनवार्य कर दयिा था, जो वर्ष 1993 से सीवेज के काम में मारे गए थे और प्रत्येक व्यक्ती के परवार को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दयि जाने का भी आदेश दयिा गया था ।

आगे की राह

- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: स्वच्छ भारत मशिन को 15वें वतित आयोग द्वारा सर्वोच्च प्राथमकिता वाले कषेत्र के रूप में पहचाना गया और स्मार्ट शहरों एवं शहरी वकिस के लयि उपलब्ध धन के साथ हाथ से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने के लयि एक मज़बूत आधार प्रदान कयिा गया ।
- सामाजकि सुभेदयता: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजकि स्वीकृती को संबोधति करने के लयि पहले यह स्वीकार करना और समझना आवश्यक है कि कैसे और कयों जातिव्यवस्था के कारण हाथ से मैला ढोना अभी भी जारी है ।
- राज्य और समाज को रुचिलेने की आवश्यकता: राज्य एवं समाज को इस मुद्दे में सकरयि रूप से रुचिलेने की जरूरत है और इस प्रथा का सही आकलन कर इसके उन्मूलन के लयि सभी संभावति वकिल्पो पर गौर करने की जरूरत है ।

वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: 'राष्ट्रीय गरमिा अभयान' एक राष्ट्रीय अभयान है, जसिका उद्देश्य है: (2016)

- (a) बेघर एवं नरिशरति व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें आजीवकि के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना ।
- (b) यौनकर्मियों को उनके अभ्यास से मुक्त करना और उन्हें आजीवकि के वैकल्पकि स्रोत प्रदान करना ।
- (c) हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खतम करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना ।
- (d) बंधुआ मज़दूरों को मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना ।

उत्तर: (c)

- राष्ट्रीय गरमिा अभयान वर्ष 2001 में शुरू कयिा गया, मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लयि गरमिापूरण जीवन सुनशिचति करने हेतु यह एक राष्ट्रीय अभयान है । अत: वकिल्प (c) सही है ।

स्रोत: द हट्टि

